आमजन भी यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे

बिहार में अब आमजन भी बनेंगे सड़क सुरक्षा प्रहरी

संवाददाता, पटना

राज्य में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने एवं यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा एक नयी पहल शुरू की गयी है. अब आमजन भी सड़क सुरक्षा के प्रहरी बनकर यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे. विभाग ने यातायात नियम उल्लंघन की सूचना सीधे विभाग तक पहुंचाने के लिए विशेष व्हाट्सएप नंबर 9153971897 एवं इ-मेल आइडी commandcontrolecenterbihar@gmail.com जारी किया है.

फोटो या वीडियो विभाग को भेज सकेंगे

विभाग की ओर से जारी वाट्सएप, इ-मेल पर अब कोई भी नागरिक

ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना, दोपहिया वाहन पर तीन सवारी, गलत दिशा में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना, रैश ड्राइविंग एवं अन्य यातायात नियम उल्लंघन से संबंधित फोटो या वीडियो विभाग को भेज सकेंगे. प्राप्त शिकायतों के आधार पर वाहन, चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी.

परिवहन विभाग ने आमलोगों से की अपील

विभाग ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. यातायात नियमों का तोड़ने वालों की सूचना विभाग को उपलब्ध कराकर आम नागरिक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. आमजन से अपील की कि सड़क पर किसी भी प्रकार के यातायात नियम उल्लंघन की जानकारी मिलने पर जिम्मेदार नागरिक के रूप में विभाग को अवश्य सूचित करें तथा स्वयं भी यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित बिहार के निर्माण में सहयोग करें.

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए आमजन की भागीदारी जरूरी है. आमजन भी सड़क सुरक्षा के प्रहरी बनकर यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई में अपनी भागीदारी निभा सकते है. प्राप्त फोटो एवं वीडियो के आधार पर वाहन संख्या एवं अन्य तथ्यों का सत्यापन कर संबंधित वाहन मालिक व चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. शिकायत करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जायेगी.

राजकुमार, सचिव, परिवहन विभाग.